न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/573
मुकदमा नम्बर 192/2024 दर्ज दिनांक– 13.12.2024

1. परमेश्वरी पत्नी बंशीधर शर्मा पुत्र वधु चुन्नीलाल शर्मा
2. महेश कुमार पुत्र किशोरी लाल शर्मा पौत्र बंशीधर शर्मा
3. मुन्नी पुत्री बंशीधर शर्मा पौत्री चुन्नीलाल शर्मा समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम जाखल, तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

1. दिनेश कुमार पुत्र किशोरी लाल शर्मा पौत्र बंशीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम जाखल तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री शिशुपाल सिंह कुलहरी
अनावेदक सं. 1 :– स्वंय
अनावेदक सं. 2 :– पैरा. राज.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 21.05.2025**

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में भूमि खाता सं. नया 323 पुराना 253 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1526/824 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 824 रकबा 0.9550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0100 है0 भूमि जिसमें आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 के पति , पिता व दादा का दर्ज 1/3 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पति व दादा का दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में बंशीधर पुत्र सुरजमल के स्थान पर बंशीधर शर्मा पुत्र चुन्नीलाल शर्मा दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी सं. 1 परमेश्वरी देवी पत्नी बंशीधर शर्मा , प्रार्थी सं. 2 महेश कुमार पुत्र किशोरीलाल शर्मा, प्रार्थी सं. 3 मुन्नी पुत्री बंशीधर शर्मा व अप्रार्थी सं. 1 दिनेश कुमार पुत्र किशोरीलाल शर्मा दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक सं. 1 स्वंय उपस्थित हो प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने मे सहमती व्यक्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

तहसीलदार नवलगढ की और से पैरो. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2025/7578 दिनांक 09.05.2025 पेश की गई।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगोर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रा. पत्र के अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में भूमि खाता सं. नया 323 पुराना 253 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 1526/824 रकबा 0.05 है0, खसरा नं. 824 रकबा 0.9550 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.0100 है0 भूमि जिसमें आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 के पति , पिता व दादा का दर्ज 1/3 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पति व दादा का दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में बंशीधर पुत्र सुरजमल के स्थान पर बंशीधर शर्मा पुत्र चुन्नीलाल शर्मा दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू